

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 3321 /4-1 बिजनौर, दिनांक, अप्रैल, 06, 2016।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०  
मेरठ।

विषय:- मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा ग्राम चॉदपुर तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर की खसरा संख्या 2230 मि० बदायूँ-बिजनौर प्रान्तीय मार्ग संख्या-51 किमी० 174 आर०एच०एस० में 0.0775 हे०, संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रवेश मार्ग में बाधक एक आम के वृक्ष की पातन अनुमति के संबन्ध में।

संदर्भ:- उ०प्र० शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या पी-51/14-2-2016-800(50)/2016 दिनांक 01-04-2016।

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० एफ०एन० सं०-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 व एफ०एन० सं०-11-09/98 एफसी, दिनांक 21-08-2014 के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा ग्राम चॉदपुर तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर की खसरा संख्या 2230 मि० बदायूँ-बिजनौर प्रान्तीय मार्ग संख्या-51 किमी० 174 आर०एच०एस० में 0.0775 हे०, संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रवेश मार्ग में बाधक एक आम के वृक्ष की पातन अनुमति एवं गैरवानिकी प्रयोग हेतु आनलाइन उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तों की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

- (1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24-07-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
- (2) सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साईन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
- (3) फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x15 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा संपर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।
- (5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे० से कम होगा।
- (6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (लीड बेस्ड) आधारित हैं।
- (7) प्रभावित वन भूमि 0.0775 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य 7.30 लाख प्रति हे० के दर से ₹० 56,575.00 (₹० छप्पन हजार पॉस सौ पिचहत्तर मात्र) का E-payment portal के माध्यम से Compensatory A forestation Fund, (CAF) उ०प्र० के एकाउन्ट संख्या 037100101025230 IFSC Code CORP0000371 कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नाम कराकर E-payment portal Slip मूल में अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित करें।
- (8) उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25320, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

- (9) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (10) नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (11) प्रस्तावक विभाग परियोजना के आस-पास के पलोरा (वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग पलोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।
- (12) प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (13) प्रस्तावक विभाग के संबधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन संपदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन संपदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए संबधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
- (14) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अंदर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (15) भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007.एफसी०(पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र सं०-J-1103/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैन्डिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (16) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।
- (18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेंकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०वी०पी० संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित हैं। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित हैं, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।
- (20) संबधित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
- (21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
- (22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (24) इस संबध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98.एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित

डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया हो।

- (26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र सं०- एफ०एन० सं०-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
- (27) प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लौगिंग एवं अभिवहन चार्ज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2007-एफ०सी० दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।
- (28) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण 100 वृक्षों का सामान्य वृक्षारोपण दस वर्षों तक रख-रखाव सहित रू० 93,500.00 (रू० तिरानवे हजार पाँच मात्र) का e-payment portal के माध्यम से Compensatory A forestation Fund, (CAF) उ०प्र० के एकाउन्ट संख्या 037100101025230 IFSC Code CORP0000371 कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नाम जमा कर e-payment portal slip अनुपालन आख्या के साथ में संलग्न करे।
- (29) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।  
उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु संस्तुति की जायेगी।

भवदीय,

(सलिल कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
  - 2 वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
  - 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी चॉदपुर।

(सलिल कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।